प्रेस नोट

दिनांक 13.09.2025

थाना मौदहा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेंड में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 13.09.2025 को समय लगभग 06:30 बजे शाम को प्रभारी निरीक्षक मौदहा एवं उनकी टीम को जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 12.09.2025 को अतीत प्रजापति नामक युवक को अभियुक्तगणों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त निहालुद्दीन पुत्र कमाल जो आदर्श डिग्री कॉलेज थाना मौदहा जनपद हमीरपुर के आगे तेंदुही रोड की ओर पैदल जा रहा है।

मुखबिर खास की सूचना पर विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये घटना में सम्मिलित वांछित अभियुक्त निहालुद्दीन पुत्र कमाल, निवासी छोटा कसौड़ा हैदरिया, थाना मौदहा, उम्र लगभग 25 वर्ष, को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करने हेतु रोका गया तो उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई कार्यवाही में अभियुक्त निहालुद्दीन के बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लगी, जिसे मौके से ही घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया एवं उसके पास से एक अदद अवैध तमंचा 315, एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा उपचार हेतु सीएचसी मौदहा भेजा गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों को लगाया गया है। आज हुई मुठभेड के सम्बन्ध में थाना मौदहा जनपद हमीरपुर पर अभियुक्त निहालुद्दीन पुत्र कमाल उपरोक्त के विरुद्ध (पुलिस मुठभेड) व आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 12.09.2025 को समय करीब 23.30 बजे वादी स्वतन्त्र कुमार पुत्र रामेश्वर प्रजापति निवासी मुहल्ला रागौल, कस्बा व थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर द्वारा उपस्थित थाना मौदहा आकर तहरीर दी गई। वादी द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.09.2025 को नीरज पुत्र नोखेलाल निवासी रागौल कस्बा व थाना मौदहा तथा बाबू पुत्र रहमान निवासी ग्राम मांचा थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर (वर्तमान पता: मोहल्ला रागौल, थाना मौदहा) उसकी खड़ी मोटर साइकिल पर बैठने लगे व मना करने पर वादी तथा उसके भाई अतीत के साथ उपरोक्त दोनों व्यक्तियों का विवाद हो गया था।

उक्त पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12.09.2025 को समय करीब 18.00 बजे 1.नीरज पुत्र नोखेलाल 2.बाबू पुत्र रहमान, 3.दिलावर पुत्र हफीज (निवासी ग्राम कम्हरिया थाना मौदहा, हाल निवासी रागौल) तथा 02 अज्ञात व्यक्ति एक राय होकर वादी के भाई अतीत व लक्ष्मी के साथ हॉकी स्टिक से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान जान से मारने की नियत से वादी के भाई अतीत (उम्र करीब 24 वर्ष) के कंधे में गोली मार दी गई। शोर-शराबा सुनकर मौके पर भीड़ एकत्र होने पर अभियुक्तगण गाली-गलौज करते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 315/2025 धारा 109/191(3)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम उपरोक्त 03 नामजद न 02 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर

एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. नि0 उमेश कुमार सिंह (प्र0नि0 थाना मौदहा)	2. उ0नि0 विनेश गौतम
3. उ0नि0 दिशान्त खोखर	4. उ0नि0 अभिषेक त्रिवेदी
5. का0 विनोद कुमार	6. का0 संदीप सिसौदिया
7. का0 विजय प्रताप	8. का0 आसिफ शेख